बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

23 जुलाई 2019

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य विधि].

- 25

ऐंबुलेंस सेवा की व्यवस्था

*368 **डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के सभी 15 ऐंबुलेंस का परिचालन ईंधन के अभाव में बंद पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐ्ंबुलेंस सेवा बंद होने से जिले के प्रसूता एवं आकस्मिक मरीजों प्राइवेट वाहनों पर निर्भर है;

(ग) क्या यह सही है कि ऐंबुलेंस सेवा का संचालन पटना की एक निजी कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला की बंद पड़ी ऐंबुलेंस सेवा की बदहाली के लिए संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई एवं ऐंबुलेंस सेवा का पुनः बहाल करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

नकली सामान बेचने वाले पर कार्रवाई

*369 **श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दवा और कपड़ा से लेकर कॉस्मेटिक सामानों पर ब्रांडेड के नाम पर नकली सामान को खपाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि ब्रांडेड प्रोडक्सन कंपनी के अधिकारी पुलिस की मदद से पिछले एक साल में 120 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर चुके हैं और 50 करोड़ रुपये से अधिक का सामान जब्त किया है;

(ग) क्या यह सही है कि नकली सामान के इस खेल में पटना सिटी के साथ गया, नालंदा और शहर के कई अन्य इलाके हब के रूप में विकसित हो चुके हैं;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नकली सामानों पर रोक लगाने के लिए ऐसे सामानों को बेचने वालों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

दोषी पर कार्रवाई

*370 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिले के किंजर, करपी एवं कुर्था प्रखंडों के विभिन्न बाजारों में बगैर निबंधन कराये कई निजी नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जहां भोले-भाले लोग स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर आर्थिक दोहन के शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन अवैध, बगैर निबंधित नर्सिंग होमों के जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*371 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) परिसर में संचालित अमृत फार्मा दवा दुकान है;

(ख) क्या यह सही है कि एक ओर परिसर में संचालित दवा दुकान बंद कर दी गयी तो दूसरी ओर कैंसर हार्ट जैसे गंभीर मरीजों को बाहर घूम-घूमकर दवाएं लानी पड़ रही हें, अमृत दवा दुकान है लेकिन वहां 70 प्रतिशत दवाएं नहीं हैं और जो दवाएं हैं वह बेहतर क्वालिटी की नहीं हैं, ऐस में मरीज परेशान हैं;

(ग) क्या यह सही है कि मरीज लगातार अस्पताल प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, बावजूद मरीजों की शिकायत पर जिम्मेदार पदाधिकारी की ओर से कोई कार्रवाइ र् नहीं की जा रही है, जबकि चिकित्सक भी दवाओं की गुणवत्ता पर एम्स प्रशासन के सामने कई बार अपनी बात रख चुके हैं;

(घ) क्या यह सही है कि मेडिकल सुपरिंटेन्डेट की मिलीभगत से कम क्षमता और बिना क्वालिटी मेंटेन की दवा एम्स से बिक री है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर शीघ्र कार्रवाई कराना चाहती है ?

स्वीकृत पद पर स्थानांतरण

*372 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय में मूर्छक का पद है, परन्तु न आपरेशन थियेटर है और न सर्जन है;

(ख) क्या यह सही है कि इसके बावजूद डा. सुरेन्द्र शरण, चिकित्सा पदाधिकारी, मूर्छक के पद पर यहां कार्यरत हैं, जबकि दिनांक-6.3.2009 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित योजना से गैर योजना मद में स्थानांतरण संबंधी बैठक में निर्णय लिया गया था कि मूर्छक के पद को जहां आवश्यकता हो, वहां स्थानांतरित किया जाए;

(ग) क्या यह सही है कि संप्रति दानापुर सहित कई औषधालयों में मूर्छक का पद रिक्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डा. शरण का दानापुर या अन्यत्र अस्पताल में स्वीकृत मूर्छक के पद पर स्थानांतरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अधीक्षक की पदस्थापना

*373 **श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला अंतर्गत सरोज सीताराम राजकीय सदर अस्पताल, शिवहर में अधीक्षक का पद 1 जनवरी, 2019 से रिक्त है;

(ख) क्या यह सही है कि अधीक्षक का पद रिक्त रहने के कारण सदर अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से भी बदतर हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सदर अस्पताल में अधीक्षक की पदस्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

फुड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

*374 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

उद्योग :-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला के औद्योगिक विकास हेतु फलों के साथ-साथ फसलों का आधिक्य होने के बावजूद भी किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना का प्रयास नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि भागलपुर में ही स्थापित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर फलों एवं फसलों के बेहतर उत्पादन हेतु अत्याधुनिक तकनीक भी दे रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित प्रक्षेत्र की मुख्य फसल मकई तथा मुख्य फलों यथा आम, केला, टमाटर आदि उत्पादों का लाभ संबंधित कृषकों को दिलाने हेतु सरकारी अथवा निजी स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रसव की कमी

***375 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव एक साल में 46 फीसदी से 41 फीसदी पर आ गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना के मोकामा, घोसवरी, बेलछी, बाढ़, मनेर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संस्थागत प्रसव पिछले साल की तुलना में इस बार कम हुआ है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकारी अस्पतालों संस्थागत प्रसव में कमी होने का क्या कारण है ?

अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र

***376 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड अन्तर्गत सफापुर ग्राम मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर रहने एवं डाक्टर के नहीं रहने के कारण आम नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, बेगूसराय एवं सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से पंचायत मुख्यालय सफापुर में नये भवन निर्माण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उसी पंचायत के मीनापुर में स्थानान्तरित करते हुए पंचायत मुख्यालय में अतिरिक्त

स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की अनुशंसा की है, जो वर्षों से विभाग में लंबित है;

(ग) क्या यह सही है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार ने कम से कम पंचायत मुख्यालय में बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर प्रति दिन डाक्टर एवं दवा उपलब्ध कराना चाहती है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पंचायत मुख्यालय सफापुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना व्यापक हित में कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वार्ड वातानुकूलित कब तक

***377 श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, छपरा में बर्न मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था की गयी है जो वातानुकूलित नहीं है, जिसके कारण इस तपती गर्मी में मरीज कराह रहे हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड ‘क’ का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बर्न वार्ड को वातानुकूलित बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

परीक्षा की तिथि

***378 श्री मनोज यादव (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा वर्ष 2015 में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के श्रेणी-3 के तकनीकी पदों यथा-एक्स-रे तकनीशियन, शल्यकक्ष सहायक एवं प्रयोगशाला प्रवैधिक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि खंड ‘क’ में वर्णित पदों के लिए साक्षात्कार परीक्षा बार-बार रद्द किया जाता रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड ‘क’ में वर्णित पदों के लिए पुनः साक्षात्कार परीक्षा की तिथि यथाशीघ्र जारी करने का विचार

रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रमाण पत्र निर्गत कब तक

*379 **श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में नियमित कर्मचारी से तीन गुणा अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दिशा-निर्देश देना चाहेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्युत तार-पोल की व्यवस्था

*380 **श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड की पटवारा दक्षिणी पंचायत के वार्ड नं.-13 से 255 दलित, अति पिछड़ा एवं पिछड़ी जाति के लोगों के घर में वर्ष 2010-11 में विद्युत का मीटर लगा दिया गया और पोल एवं तार नहीं दिया गया;

(ख) क्या यह सही है कि 8 वर्षों से लोग स्वयं अपना तार बांस के खंभे पर लगाकर विद्युत प्राप्त करते हैं और बिजली बिल भुगतान करते हैं, जिससे हमेशा कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि पोल गाड़ने के लिए ठेकेदार प्रति पोल गाड़ने हेतु 500 से 1500 रु. की मांग करता है, जहां 30 पोल की आवश्यकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पोल एवं तार लगाना चाहती है और देर करने वाले, रिश्वतखोर को दंडित करना चाहती है ?

उचित कार्रवाई

*381 **श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के गुलजारबाग छोटी पहाड़ी सहारा रोड से प्रेम जी कॉलोनी के पास पूनम देवी के मकान से रेखा देवी के मकान तक दूरी लगभग 300 मीटर वहां पर है, बिजली पोल नहीं रहने के कारण लोगों को अंधेरे की समस्या से जूझना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित को ख्याल में रखते हुए वर्णित मोहल्ला में बिजली पोल गाड़ने हेतु उचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुदान की राशि

*382 **श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी एवं चिकित्सकों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय अभाव के कारण सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी एवं चिकित्सकों की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं हो पाया जिसके कारण मृतक के आश्रितों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में अनुग्रह अनुदान की राशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्वीकृति प्रदान

*383 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

उद्योग :-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि उस क्षेत्र के विकास के साथ लोगों को रोजगार मिल सके ;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण आवेदन पर वर्षों तक स्वीकृति नहीं मिलती है जिससे प्रदेश में उद्योग शुरू नहीं हो पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल औद्योगिक क्षेत्र में गैस रिफिलिंग परियोजना लगाने हेतु महर्षि गैसेस के नाम से उनके प्रोपाइटर श्री प्रभाकर मिश्र ने दिनांक-14.02.2017 को दरभंगा कार्यालय में आवेदन के साथ बैंक डाफ्ट 10,000/- रुपया का जमा कराया और उनको कहा गया कि 14 नं. फ्लॉट खाली है वह आपको आवंटित हो जायेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः दिनांक-03.01.2018 को बियाडा, पटना में ऑनलाइन आवेदन किया जो अभीतक लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महर्षि गैसेस को गैस परियोजना लगाने सहित अन्य उद्योग को लगाने हेतु आवेदन के तीन माह के अन्दर स्वीकृति प्रदान करना चाहती है ?

फिजियोथेरापी की व्यवस्था

***384 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अस्पतालों में फिजियोथेरापी कराने की व्यवस्था मुफ्त है;

(ख) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, बिहार शरीफ में मरीजों से शुल्क लेकर फिजियोथेरापी की जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित अस्पताल में फिजियोथेरापी की व्यवस्था मुफ्त में कराना चाहती है ?

विद्युत तार की व्यवस्था

***385 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत जर्जर तार बदलने हेतु मात्र 1400 कि.मी. ही कार्य किया गया है, परन्तु और जर्जर तार बदलने की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में जो कार्य हुआ उससे सम्पूर्ण जिले का जर्जर तार बदलने का कार्य नहीं हो पाया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार जिला के सभी जर्जर तारों को पूर्ण रूप से बदलने हेतु वर्तमान में आवंटित सामग्री के अलावे अतिरिक्त तार एवं अन्य सामग्री स्वीकृत करने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पदों के विरुद्ध नियुक्ति

*386 **डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान जिला सहित राज्य के 25 सदर अस्पतालों में 9 सदर अस्पतालों को 500, 11 सदर अस्पतालों को 300 एवं 5 सदर अस्पतालों को 100 शैय्याओं के रूप में उत्क्रमित करने हेतु 54,52,64,884 रु. एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में 50,85,99,006 रु. व्यय की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दिनांक-17.01.2009 को दी गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य के 25 सदर अस्पतालों में फिजिशियन, जनरल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक, महिला चिकित्सक अन्य 32 पदों पर कुल 3,592 एवं वर्ष 2010-11 में 3,940 सृजित पदों पर स्थायी सृजन हेतु स्वीकृति मंत्रीपरिषद द्वारा दिनांक-17.01.2009 को दी गई थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि आवंटन के बावजूद अस्पतालों को उत्क्रमित एवं सृजित पदों के विरुद्ध नियुक्ति नहीं करने का क्या औचित्य है ?

ठोस कदम उठाने पर विचार

*387 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार का वह क्षेत्र जो नेपाल से जुड़ा है, वहां के लोग कई प्रकार के नशे का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विशेषकर उक्त क्षेत्र में रहने वाले गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नौजवान नशे का शिकार हो रहे हैं और कई प्रकार की गंभीर बिमारियों से ग्रसित हो गये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि विशेषकर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी जिलों में नशाखुरानी के कारण अधिकांश बच्चों की असामयिक मृत्यु हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित गंभीर समस्या को देखते हुए इसका रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहेगी ?

संस्थान खोलने पर विचार

*388 **श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति को सही मानती है;

(ख) क्या यह सही है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु सरकार प्रयास कर रही है;

(ग) क्या यह सही है कि यूनानी चिकित्सा के कितने चिकित्सक सरकार ने नुयिक्त कर रखे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यूनानी चिकित्सा का कोई शोध संस्थान खोलने का इरादा है ?

ब्लड उपलब्ध

*389 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के सदर अस्पताल में वर्षों पूर्व रोगियों को समय पर ब्लड उपलब्ध कराने हेतु रक्त दान केन्द्र के भवन का निर्माण किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि सदर अस्पताल के चारों दिशा में सड़क होने से बरसात के मौसम में अस्पताल और रक्त दान केन्द्र के भवन के अन्दर पानी लग जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि समुचित देखरेख के अभाव में रक्त दान केन्द्र भवन क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण काम करने वाले चिकित्सक तथा कर्मचारी इस भवन के अन्दर जाने से डरते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदर अस्पताल, मधुबनी परिसर अंतर्गत रोगियों को समय पर ब्लड उपलब्ध कराने वाली क्षतिग्रस्त रक्त दान केन्द्र भवन का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्युत आपूर्ति

***390 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

ऊर्जा :-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि महममदपुर बलुआ टोला, प्रखंड-गोरिया कोठी अनुमंडल महराजगंज के निवासी लाल बाबू खरबार दिनांक-09.03.2018 से तार जोड़ने हेतु आवेदन दिया गया है, परन्तु विभागीय कर्मचारियों एवं पदाधिकारी के द्वारा आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि स्वं बैंकूंठ सिंह मास्टर के घर से गौतम खरबार के दरबाजे तक विद्युत पोल का तार टूटा हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव में विद्युत तार टॅटने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्युत तार को जोड़ते हुए ग्रामवासियों को विद्युत आपूर्ति करके उनके कष्टों का निवारण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

ट्रामा सेंटर स्थापित

*391 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

स्वास्थ्य :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-31 पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं जिसमें प्रत्येक वर्ष काफी लोगों की मृत्यु होती है और बड़ी संख्या में लोग जख्मी होते हैं,

(ख) क्या यह सही है कि इस पथ पर होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर फहतेपुर मोड़ पर रेफरल अस्पताल तथा माखर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी थी परन्तु रेफरल अस्पताल अर्धसैनिक बलों का कैम्प बन जाने तथा माखर स्वास्थ्य केन्द्र ध्वस्त हो जाने से दुर्घटनाग्रस्त लोगों की चिकित्सा नहीं हो पा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित परिस्थितयों के मद्देनजर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 के किनारे अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत रूनीपुर उच्च विद्यालय के समीप अवस्थित सरकारी भूमि पर ट्रामा सेन्टर स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आवश्यक कार्रवाई

*392 **डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

विधि :-

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा विचारोपरांत जो भी आदेश पारित किया जायेगा, वह सक्षम प्राधिकार के लिए मान्य व बाध्यकारी है;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक-08.09.2018 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, झंझारपुर, जिला-मधुबनी के न्यायालय में प्रस्तुत एक परिवाद सं.-505510108091801478 में उनके द्वारा विभिन्न तिथियों में सुनवाई के पश्चात दिनांक-31.01.2019 को जो आदेश पारित किया गया, उसे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी, आई.सी.डी.एस. ने अपने पत्रांक-764, दिनांक-03.07.2019 के द्वारा खारिज करते हुए न्यायालय के फैसला से इत्तर पृथक आदेश पारित कर दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस विषय में जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मनतव्य प्राप्त कर सरकार के स्तर पर विधिक

समीक्षोपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?